



भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, (भामृजसंस)
अनुसंधान केन्द्र, छलेसर-आगरा 282006 (उ०प्र०)
ICAR-INDIAN INSTITUTE OF SOIL & WATER CONSERVATION (IISWC)
RESEARCH CENTRE, CHHALESAR- AGRA-282006 (U.P.)



सं० 4(13)/स्टोर/ 71

दिनांक : 11/5/2023

नोटिस नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस केन्द्र पर निम्नलिखित सरसों, तरामीरा की खुली नीलामी दिनांक 21.05.2023 को समय 11.00 बजे होगा। सभी नीलामीकर्ता नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित है। नीलामी होने वाले सामग्री वि विवरण निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	समग्री का नाम	मत्रा
1	सरसों	9.00 कुन्टल
2	तरामीरा	17.04 कुन्टल

नीलामी की शर्तें व नियम

नीलामी का विस्तृत विवरण इस केन्द्र से जाना जा सकता है।

- नीलामी में भाग लेने वाले को नीलामी से पूर्व निम्नलिखित कागजात को नीलामी कमेटी के पास जमा कराना आवश्यक होगा।
 - नीलामी में पंजीयन हेतु नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो की (Head, CSWCRTI, RC, Agra) के पक्ष में होगा।
 - बोलीदाता के बैंक पासबुक के प्रथम पेज की जिसमें उनकी फोटो/नाम आदि का विवरण हो की प्रतिलिपि।
 - बोलीदाता के आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
- प्रस्तावित बोली बोलने वाले व्यक्ति अपनी बोली के पूर्व माल का निरीक्षण एवं सत्यापन कर सकते हैं। नीलामी के बाद किसी भी प्रकार का परिवाद (शिकायत) नहीं सुनी जाएगी।
- बोली के पूर्व बोली बोलने वाले को बयाने के रूप में रू० 10,000/- जमा कराने होंगे।
- सफल बोलीदाता को नीलामी सम्पन्न होने के तुरंत बाद केन्द्र के खाते में, पंजीयन राशि को छोड़कर सामानों की (Head, CSWCRTI, RC, Agra) में राशि ड्राफ्ट अथवा NEFT/RTGS के माध्यम से जमा कराना होगा।
- सफल बोली बोलने वाले को खरीद की पूरा रकम पंजीयन राशि को छोड़कर का 50 प्रतिशत भाग बोली समाप्त होने के तुरंत बाद जमा करानी होगी और शेष रकम बोली स्वीकार होने के एक सप्ताह के अन्दर जमा करानी होगी। इसके पश्चात माल उठाने की इजाजत (कार्यालय आदेश) के माध्यम से दी जाएगी। बिका हुआ सामान रकम जमा करने के पश्चात उठाना होगा। इसका उल्लंघन करने पर जमा की गई धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।



भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवंजलसंरक्षणसंस्थान,(भामृजसंस)

अनुसंधानकेन्द्र,छलेसर-आगरा282006(उ0प्र0)

ICAR-INDIAN INSTITUTE OF SOIL & WATER CONSERVATION (IISWC)
RESEARCH CENTRE, CHHALESAR- AGRA-282006 (U.P.)



6. सामान उठाने का समय प्रातः 9.30 बजे से सांय 5.00 बजे तक निर्धारित होगा शनिवार, रविवार या अन्य किसी भी अवकाश के दिन सामान उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
7. बोली स्वीकार होने के बाद नीलामीकर्ता अपने सामान की देख रेख का स्वयं ही जिम्मेदार होगा । इस बारे में केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
8. बोलीकर्ता अनुसंधान क्षेत्र में उपरोक्त कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची आधार कार्ड के साथ प्रस्तुत करेगा । इसके अलावा अन्य किसी वाहरी व्यक्ति को प्रक्षेत्र पर आने की अनुमति नहीं होगी और प्रतिनिधि या कर्मचारी के किसी गलत कार्य अथवा अचूक के जिम्मेदार स्वयं होंगे ।
9. प्रस्तावित बोली बोलने वाले को इन शर्ता के राजी होने के बाद इस परिपत्र पर हस्ताक्षर करना होगा ।
10. सफल बोली बोलने वाले ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि की लापरवाही से यदि अनुसंधान प्रक्षेत्र पर जायदाद, सफल आदि को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । इस बारे में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा ।
11. नीलामी के समय दी गई हर एक सप्ताह के लिए मान्य होगी ।
12. केन्द्रध्यक्ष आगरा को बिना कोई कारण स्पष्ट किये नीलामी में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति की बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकारी सुरक्षित है।

उपरोक्त आदेश सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है

(लल्लन मिश्रा) 1/5/23
सहा0प्रशा0अधि0
1/5/2023

वितरण :-

1. AKMU-ICAR-IISWC,218, Kaulagarh Road, Dehra dun को सूचनार्थ एवं संस्थान के वेब साईट पर Upload करने हेतु
2. प्रभारी अधिकारी (भंडार) आईसीएआर-भा0मृ0एवंजल संरक्षण अनु0 संस्थान देहरादून को सूचनार्थ एवं सीपीपीपी पर Upload करने हेतु
3. नोटिस बोर्ड